आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(79)लेखा/आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/छात्रवृति/2021–22/211 दिनांक – 09/07/2021

सम्पर्क पोर्टल/अत्यावश्यक

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

परिपत्र

विषय – कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आदिनांक तक दर्शायी जा रही परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुक्तालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में समय–समय पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है जिसमें विद्यार्थियों/अभिभावकों द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर निम्नांकित शिकायतें प्राप्त होती है।

1. महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन को जांच कर समय पर अग्रेषित नहीं करना।
2. महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों द्वारा अनावश्यक आक्षेप (यथा आय प्रमाण पत्र में तिथि अंकित न होना, आवेदन की हार्ड कॉपी महविद्यालय में जमा कराना, दस्तावेजों की केवल मूल प्रति स्केन कर लगाना इत्यादि) लगाकर आवेदन को पुनः विद्यार्थी के स्तर पर प्रेषण करना।
3. विद्यार्थियों द्वारा आक्षेप की पूर्ति करने के उपरान्त भी महाविद्यालयों द्वारा आवेदन को समय पर जिला नोडल अधिकारी को अग्रेषित नहीं करना।
4. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृति हस्तान्तरण की प्रक्रिया के मध्य जन आधार तथा अपने बैंक खाते में संशोधन कराने के फलस्वरूप पे–मैनजर पर उक्त विद्यार्थियों का डेटा हस्तान्तरण नहीं होता जिससे छात्रवृति राशि हस्तान्तरण में समस्या आती है। इस प्रक्रिया में नोडल महाविद्यालयों से वर्तमान मे खाते की सूंचना मांगी जाती है जो संबंधित महाविद्यालयों द्वारा समय पर नहीं देने के कारण छात्रवृति हस्तांतरण की समस्या बनी रहती है।
5. विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृति हस्तांतरण के उपरान्त भी शिकायत प्राप्त होती है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित शिकायते भी कॉलेज शिक्षा के सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कराई जाती है। जिसका निस्तारण महाविद्यालय के स्तर पर किया जा सकता है किन्तु महाविद्यालय स्तर पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयावधि में निस्तारण करने का उचित प्रबंध करें। यदि किसी शिकायत का आपके स्तर पर समाधान हो सकता है तथा ऐसी शिकायत समयावधि पश्चात् अग्रेषित होकर आयुक्तालय को प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावेगा।

08/07

(संदेश नायक, आई.ए.एस)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांक : एफ 23(79)लेखा/आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/छात्रवृति/2021–22/212-213 दिनांक – 09/07/2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को यूओ. नोट क्रमांक–एफ1( ) प्रशा/ राजस्थान सम्पर्क/ आकाशि/ 2021/ 5713 दिनांक–02.07.2021 के क्रम में।
2. प्रभारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार